आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –64 / 2023

जवाहर लाल राय

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
04.05.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 21577 / 2019 में दिनांक–24.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा आपूर्ति वाद सं0–02 / 2018–19 में दिनांक 02.07.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश का अंश है :– **"Mr. N.K. Agarwal, learned Senior Advocate for the petitioner, after some arguments, withdraws this petition in order to enable the petitioner to prefer a revision against the orders passed by the Licensing Authority as also the Appellate Authority.** **Should such a revision petition be filed within a period of thirty days, his application shall be considered on merits and after providing opportunity to the petitioner to represent his cause, a reasoned order shall be passed within a further period of sixty days."** वाद का सारांश यह है कि श्री रामदेव मल्लिक एवं अन्य उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये परिवाद पत्र के संबंध में प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मड़वन द्वारा दिनांक 21.12.2017 को श्री जवाहर	

WEB COPY NOT OFFICIAL

लाल राय, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान की जाँच की गयी और उपभोक्ताओं के बयान के साथ जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया गया।

जाँच में निम्न अनियमितताएं पायी गयी :–

(i) भंडार के भौतिक सत्यापन के क्रम में दुकान के भंडार में पूर्वीक्ता योजना का गेहूँ 32.60 क्विंटल, चावल 48.93 क्विंटल एवं अन्त्योदय योजना का गेहूँ 9.10 क्विंटल तथा चावल 13.65 क्विंटल पाया गया।

(ii) दुकान से समबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है, वर्ष में 09 माह ही खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता है तथा उपभोक्ताओं द्वारा पूछे जाने पर दुर्व्यवहार किया जाता है।

(iii) उपभोक्ताओं द्वारा यह भी बताया गया कि खाद्यान्न वजन मे कम दिया जाता है, एक माह का खाद्यान्न देकर राशन कार्ड पर दो माह की प्रविष्टि दर्ज कर दी जाती है एवं कहने पर मारपीट पर उतारू हो जाते है।

(iv) जाँच पदाधिकारी के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का वितरण दो–तीन दिन ही किया जाता है तथा पूछने पर उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार किया जाता है, जिस कारण उपभोक्ताओं द्वारा अपना आवंटन अन्य विक्रेता की दुकान के साथ समबद्ध करने हेतु लिखित आवेदन दिया गया है।

विक्रेता द्वारा दिनांक 15.01.2018 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई। समाहर्त्ता, द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए विक्रेता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षणवाद दायर है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

WEB COPY NOT OFFICIAL

(i) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 15.01.2018 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। निरीक्षण के दिन दिनांक 21.12.2017 को स्टॉक शुन्य था और वितरण पंजी में भी इसकी प्रविष्टि थी। जाँच प्रतिवेदन में स्टॉक में खाद्यान्न पाया जाना पूर्णतः गलत एवं मनगढ़ंत हैं ।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता के गांव के एक संतोष गुप्ता के साथ जमीनी विवाद एवं मार–पीट के कारण संतोष गुप्ता द्वारा उपभोक्ताओं को उकसा कर पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध शिकायत करायी गयी।

(iii) स्पष्टीकरण के साथ जाँच प्रतिवेदन की प्रति पुनरीक्षणकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

(iv) पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध पूर्व मे किसी उपभोक्ता के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी थी। जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश निरस्त होने योग्य है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि पुनरीक्षणकर्ता के भंडार के सत्यापन में पूर्वोक्ता योजना का 32.60 क्विंटल गेहूँ, 48.93 क्विंटल चावल एवं अन्त्योदय योजना का 9.10 क्विंटल गेहूँ तथा 13.65 क्विंटल चावल पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा माह नवंबर 2017 का खाद्यान्न उठाव कर वितरण नहीं किया गया। माह दिसंबर 2017 के खाद्यान्न का उठाव करने के पश्चात् एक माह के खाद्यान्न का वितरण करते हुए एक माह का खाद्यान्न कालाबाजारी हेतु रखा गया। विक्रेता का यह कृत्य ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' मे निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर वाद खारिज होने योग्य है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता के दुकान की जाँच में पायी गयी अनियमितता के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया। विक्रेता द्वारा दायर अपीलवाद पर समाहर्त्ता

WEB COPY NOT OFFICIAL

द्वारा विक्रेता को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदाने करते हुए मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि जाँच प्रतिवेदन की प्रति विक्रेता को नहीं दी गयी, के संबंध में कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 44 दिनांक 06.01.2018 द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसमें जाँच प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख है। साथ ही स्पष्टीकरण के साथ अनुलग्नक के रूप में जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जो पूछे गये स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से अंकित है।

विक्रेता पर दो माह के खाद्यान्न का उठाव करने एवं उपभोक्ताओं को एक माह के खाद्यान्न का ही वितरण करने तथा राशन कार्ड पर जबरदस्ती दो माह की प्रविष्टि दर्ज कर एक माह के खाद्यान्न का कालाबाजारी कर देने का गंभीर आरोप है। **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(i)** में अंकित है कि ***''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।''*** इस प्रकार निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का वितरण करना एवं खाद्यान्न का कालाबाजारी करना ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' के कंडिका 14(i), 25 (i) (ड़) एवं अनुज्ञप्ति के शर्तो, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का उल्लंघन है।

इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए इस पुनरीक्षणवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस

WEB COPY NOT OFFICIAL

	करें। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL